UPMA010030762026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, जनपद मऊ(उ०प्र०)।

पीठासीन अधिकारी– संजय कुमार यादव–III(एच 0 जे0 एस 0)

(ID No.–UP2023)

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–1013/2026

सुरेन्द्र राम उम्र 37 वर्ष पुत्र मोहित राम, निवासी रोशनपुर अजीजाबाद, पुलिस थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

----- आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

------ विपक्षी।

दिनांक–11.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **सुरेन्द्र राम** की ओर से मुकदमा अपराध सं० 58/2026 अन्तर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ के मामले में जमानत पर मुक्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के साथ संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक 04.06.2026 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराहियों व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के साथ खरिहानी तिराहे पर बातचीत कर रहे थे कि मुखबिर के सूचना के आधार पर कामल चक गांव के तरफ जाने वाली नहर पुलिया पर एक व्यक्ति बैठा था, जो गांजा बेच रहा था तुरन्त जाकर पकड़ लिया गया और पकड़े जाने पर व्यक्ति ने अपना नाम सुरेन्द्र राम बताया और उसके कब्जे से नाजायज गांजा बरामद किया गया, जिसका वजह करने पर उक्त गांजा 1 किलो 250 ग्राम हुआ। उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त/आवेदक के विरूद्ध धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अभियोग पंजीकृत की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र में यह जमानत आधार लिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष तथा उक्त मुकदमा में फर्जी तौर पर फंसाया गया है। आवेदक दोनों पैरो से विकलांग है तथा जूता पॉलिस का काम करता है, दरोगा जी से पॉलिस का पैसा मांगने पर आवेदक के विरूद्ध यह मुकदमा लाया गया है। आवेदक के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो भी बरामदगी दिखाई गयी है, वह गलत व फर्जी है। फर्द बरामदगी में ही विरोधाभास है, फर्द में कही गयी मात्रा 1.250 ग्राम तथा कही 1.349 ग्राम बताई गयी जबकि न्यायालय में तौलने पर 1.200 ग्राम पाया गया है। इस प्रकार फर्द झूठे तथ्यों पर आधारित है। आवेदक दिनांक 05.06.2026 से जेल में है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त है और न ही विचाराधीन है। उपर्युक्त कारणों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक(एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा उपर्युक्त जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त के पास से 1.250 किलोग्राम नाजायज गांजा बेचते हुये पकड़ा गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है, जिसके आधार पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक(एन.डी.पी.एस. एक्ट) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अति गहना से परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से परिलक्षित हो रहा है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त के पास से 1.250 किलोग्राम नाजायज गांजा प्राप्त होने पर उसके विरूद्ध यह अभियोग पंजीकृत की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त/आवेदक के पास तथाकथित बरामद गांजा लघु मात्रा(small quantity) से मात्र 250 ग्राम अधिक है। अभियोजन द्वारा अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है साथ ही फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी का उल्लेख नहीं किया गया है।

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.06.17 09:42:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त दिनांक 05.06.2026 से जेल में निरुद्ध है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में जमानत का आधार पर्याप्त है। मामले के तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्त संप्रेक्षण के प्रकाश में आवेदक/अभियुक्त सुरेन्द्र राम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध सं० 58/2026 अन्तर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु० 20,000/–(बीस हजार रूपये) का स्व–बंध पत्र एवं समान राशि के दो विश्वसनीय प्रति–भू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय की संतुष्टि के उपरान्त उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. *अभियुक्त प्रकरण के विवेचना में सहयोग करेगा।*
2. *जमानत का किसी प्रकार से दुरूपयोग नही करेगा।*
3. *किसी साक्षी को डराये–धमकायेगा नहीं।*

दिनांक–11.06.2026

(संजय कुमार यादव–III)
सत्र न्यायाधीश,
मऊ।